Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding implementation of traffic rules- Laid – Laid

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): देश में दोपहिया एवं चौपहिया वाहन चलाते समय चालको एवं बैठने वालो को सुरक्षा कारणो से अनेक प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती है इसके लिए सरकार ने नियम भी बनाये है । गति सीमा के अलावा सभी स्थानो पर चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य सड़के हो या कस्बो की छोटी सड़के एक जैसे नियम है जबकि वाहन चालको को अनेक स्थानो पर असुविधा के कारण नियमो से हटना पड़ता है । जैसे शहर के अन्दर सकरे रास्तो पर दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर स्कूटर मोटरसाईकिल नही चला पाते । वहां गति सीमा 20 से अधिक नही होती एवं कस्बे के अन्दर होने के कारण भीड़ होने से हेलमेट उतारना पड़ता है तब परिवहन विभाग अथवा पुलिस 1000 रूपये का चालान बनाती है यह आम आदमी के उपर बड़ा आर्थिक बोझ होता है । इस उदाहरण से मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ट्राफिक नियमों का कठोरता से पालन हो परन्तु ये सुनिश्चित करे कि नियम समय, स्थान व परिस्थिति के अनुसार परिभाषित हो और जुर्माना भी उसी अनुसार तय किया जाये ।